आवश्यक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/वेबपो/वीएस/डीईएस/2013/I/56722/2016 दिनांकः-8-9-2016

जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
समस्त

विषयः– जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में E-Sign/डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधानमन्त्री महोदय की महत्वाकांक्षी 'डिजिटल इण्डिया' योजना के तहत राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप राज्य में कार्यरत समस्त रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में E-Sign अथवा डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग करने के निर्देश प्रसारित किए हुए है। इसके उपरान्त भी कुछ रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा E-Sign अथवा डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग नही किया जा रहा है, अपितु मैन्युअल हस्ताक्षर से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है जो कि राज्य सरकार के निर्देशों एवं I.T. Act 2000 के नियमों की अवहेलना है, साथ ही रजिस्ट्रार द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार अधिनियम, 1969 की धारा 7 के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों एवं दायित्व का निर्वहन नही किया जाना भी दर्शाता है। **शासन सचिव, आयोजना द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया है।**

अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.1.2014 के पश्चात जारी किये गये ऐसे सभी प्रमाण पत्रों पर दिनांक 02.10.2016 तक ई–साईन/डिजिटल हस्ताक्षर किया जाना सुनिश्चित करें एवं दिनांक 02.10.2016 की तिथि उपरान्त ई–साईन/डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र ही वेब पोर्टल पहचान पर जारी किया जाना सम्भव होगा तथा मैन्युअल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र जारी किया जाना पूर्णतः निषेध होगा। इस सम्बन्ध में समस्त रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार को राजकार्य में उक्त लापरवाही नही दोहराये जाने के संबंध में पाबन्द करे एवं निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के विरूद्ध जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार अधिनियम, 1969 एवं राज्य नियम 2000 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त सम्बन्ध में आप द्वारा नियमित मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करें एवं आप द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.13/1/3/ वेबपो /वीएस/डीईएस/2013/ दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव आयोजना, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम............................
3. अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं विकास अधिकारी, समस्त।
4. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं नोडल अधिकारी (जन्म–मृत्यु), समस्त।